

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1)नविवि/2020 विविध

जयपुर, दिनांक: 14 DEC 2020

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास न्यास, अलवर में पदस्थापित उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक को अपने पद के कार्यभार के अतिरिक्त नगर परिषद, अलवर के नगर नियोजन शाखा से संबंधित कार्यों को सम्पादन करने के निर्देश एतद्वारा प्रदान किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि नगर विकास न्यास, अलवर में पदस्थापित उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक को परिषद अलवर के नगर नियोजन से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

//

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय